24/12/2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से मूल वाद में पेश [illegible] अधिवक्ता उपस्थित है। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है व विपक्षी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज पट्टा पर आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर की जगह स्वयं ताराचन्द के हस्ताक्षर होना अंकित है। बरक पट्टे पर आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है वास्तविकता वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर सिद्ध होगी तब तक वाद की बहुलता न बढ़े इस हेतु दिनांक 27.12.2019 जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः दिनांक 27.12.2019 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द

Scanned with CamScanner